तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 336/2019 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत महाबार

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत महाबार पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.10.2021 को राजीव गाधी सेवा केन्द्र महाबार पर पेश हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

23.10.2021

पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र महाबार में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना मे सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप से चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप से दर्ज नही है, को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक भू.अ./19/4595 दिनांक 09.08.2019 द्वारा मौजा महाबार पटवार मण्डल महाबार में स्थायी रास्ता जो NH15 (वर्तमान मे नेशनल हाईवे संख्या–68) से संचल फोर्ट होटल से होता हुआ गुडामालानी सडक तक निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप मे राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	सरपंच ग्राम पंचायत महाबार	2099/18	217.19	1122 x 30 फीट	1.19 बीघा	गै.मु. औरण

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है कि मौजा महाबार पटवार मण्डल महाबार तहसील बाड़मेर में NH15 (वर्तमान मे नेशनल हाईवे संख्या–68) से संचल फोर्ट होटल से होता हुआ गुड़ामालानी सड़क तक जा रहा है, जिसका क्षैत्रफल 1.19 बीघा है। उक्त रास्ता सरकारी

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

भूमि में से होकर निकलता है। वर्तमान में उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज नही है, परन्तु मौके पर स्थाई रास्ता है, जो आवेदन के सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। लिहाजा उक्त मार्ग को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज करने का निवेदन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सरकारी भूमि दर्ज है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निम्नांकित भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर स्थाई रास्ता है, परन्तु उक्त स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन नही हो पाया है, जिसे रास्ते के रूप में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत महाबार द्वारा उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. रास्ता अंकन करने हेतु सहमती पत्र दिया है।

अतः तहसीलदार बाडमेर का आवेदन स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि को सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है रास्ते के रूप अंकित करने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौड़ाई (फीट में)	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	सरपंच ग्राम पंचायत महावार	2099 / 18	217.19	1122 X 30 फीट	1.19 बीघा	गै.मु. औरण

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। नक्शा में तरमीम करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर